रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 1991/अग्रहायण 14, 1913
No. 708] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 1991/AGRAHAYANA 14, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1991

का. आ. 830(अ).- केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यान को यान के कुलभार वजन अर्थात निरापद अधिकतम, लदान सहित वजन और प्रत्येक धुरी के निरापद अधिकतम धुरी वजन के लिए, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. 416 (अ) तारीख 8-6-1989 में विनिर्दिष्ट है, अनुमति दे सकेगी,

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त सारणी के नीचे विनिर्दिष्ट उपांतरणों/शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपधारा (3) के उपबंध उक्त प्रकार के यान को लागू होंगे।

सारणी

यान का प्रकार	इंजन नं.	चैसी नं.	यान का सकल भार
अशोक लीलैंड	25169938	17603	सामने के एक्सल का भार – 9018 किग्रा.
चैसी एफ – 23 पर गढ़े	25170155	17602	
हुए क्रैश फायर टैंडर	25170250	17702	पीछे वाले एक्सल का भार – 20300 किग्रा.
	25170248	17703	

यदि फायर टैंडरों को हवाई अड्डा क्षेत्र से बाहर प्रयोग में लाया जाता है तो उपर्युक्त छूट निम्नलिखित संशोधनों/शर्तों के अध्यधीन होगी :—

(1) मार्ग या मोड़ पर या उसके पास बाधाओं और प्रतिबाधाओं जैसे वृक्ष की शाखा और भवन का पूर्व निर्धारण करने के लिए सावधानी बरतनी होगी,

(2) केन्द्रीय सरकार उक्त यान के अभिवहन में या उसमें लदी वस्तुओं को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी,

(3) उक्त यान के संचलन/चलाने के कारण केन्द्रीय सरकार/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा अनुरक्षित या पर्यवेक्षित सड़क या सड़क के ढांचे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुए नुकसान के लिए आप्रेटर/मालिक उत्तरदायी होगा और उक्त आप्रेटर/मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नुकसानी राशि के संदाय के लिए जिम्मेवार होगा,

(4) उक्त यान सड़क/मार्ग पर सामान्य रूप से चलने वाले यातायात को बिना कोई बाधा या प्रतिबाधा पहुंचाए चलेगा,

(5) उक्त यान की सीमा को स्पष्ट और उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए उस पर आवश्यक चेतावनी सूचक जैसे दिन के समय में लाल झण्डे लगाए जाएंगे और रात के समय में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाएगा

(6) आप्रेटर/चालक को स्थानीय निकायों या अन्य सरकारी विभागों से उनकी सड़कों पर उक्त यान को चलाने के लिए आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी,

(7) राजमार्ग/पुल, पुलिया या अन्य सड़क या सड़क के ढांचे के प्राधिकारी उक्त यान के संचलन को आपात काल परिस्थितियों और सड़क के ढांचे की दशा के कारणों से रोकने के हकदार होंगे,

(8) उक्त यान के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट वजन को बढ़ाया नहीं जाएगा,

(9) उक्त यान राजमार्ग/सड़क के सम्बद्ध सहायक/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग को पर्याप्त/अग्रिम/पूर्व सूचना के पश्चात् चलाए जाएंगे,

(10) रेल के समतल पारण या ऊपरि/निचले पुल को पार करने से पहले रेल प्रशासन से अलग से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी,

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 1991/अग्रहायण 14, 1913
No. 708] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 1991/AGRAHAYANA 14, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1991

का. आ. 820(अ) - केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि वह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यान को यान के गुरुतर वजन अर्थात् निरापद अधिकतम, लदान सहित वजन और प्रत्येक धुरी के निरापद अधिकतम धुरी वजन के लिए, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. 416 (अ) तारीख 8-6-1989 में विनिर्दिष्ट है, अनुमति दे सकेगी,

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त सारणी के नीचे विनिर्दिष्ट उपांतरणों/शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपधारा (3) के उपबंध उक्त प्रकार के यान को लागू होंगे।

सारणी

यान का प्रकार	इंजन नं.	चैसी नं.	यान का सकल भार
अशोक लीलैंड	25169938	17603	सामने के एक्सल का भार—9018 किग्रा.
चैसी एफ—23 पर गढ़े	25170155	17602	
हुए क्रैश फायर टैंडर	25170250	17702	पीछे वाले एक्सल का भार—20300 किग्रा.
	25170248	17703	

यदि फायर टैंडरों को हवाई अड्डा क्षेत्र से बाहर प्रयोग में लाया जाता है तो उपर्युक्त छूट निम्नलिखित संशोधनों/शर्तों के अध्यधीन होगी :—

(1) मार्ग या मोड़ पर या उसके पास बाधाओं और प्रतिबाधाओं जैसे वृक्ष की शाखा और भवन का पूर्व निर्धारण करने के लिए सावधानी बरतनी होगी,

(2) केन्द्रीय सरकार उक्त यान के अभिवहन में या उसमें लदी वस्तुओं को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी,

(3) उक्त यान के संचलन/चलाने के कारण केन्द्रीय सरकार/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा अनुरक्षित या पर्यवेक्षित सड़क या सड़क के ढांचे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुए नुकसान के लिए आप्रेटर/मालिक उत्तरदायी होगा और उक्त आप्रेटर/मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नुकसानी राशि के संदाय के लिए जिम्मेवार होगा,

(4) उक्त यान सड़क/मार्ग पर सामान्य रूप से चलने वाले यातायात को बिना कोई बाधा या प्रतिबाधा पहुंचाए चलेगा,

(5) उक्त यान की सीमा को स्पष्ट और उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए उस पर आवश्यक चेतावनी सूचक जैसे दिन के समय में लाल झण्डे लगाए जाएंगे और रात के समय में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाएगा

(6) आप्रेटर/चालक को स्थानीय निकायों या अन्य सरकारी विभागों से उनकी सड़कों पर उक्त यान को चलाने के लिए आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी,

(7) राजमार्ग/पुल, पुलिया या अन्य सड़क या सड़क के ढांचे के प्राधिकारी उक्त यान के संचलन को आपात काल परिस्थितियों और सड़क के ढांचे की दशा के कारणों से रोकने के हकदार होंगे,

(8) उक्त यान के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट वजन को बढ़ाया नहीं जाएगा,

(9) उक्त यान राजमार्ग/सड़क के सम्बद्ध सहायक/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग की पर्याप्त/अग्रिम/पूर्व सूचना के पश्चात, चलाए जाएंगे,

(10) रेल के समतल पारण या ऊपरि/निचले पुल को पार करने से पहले रेल प्रशासन से अलग से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी,

(11) किसी सड़क ढांचे/पुल/पुलिया/फाटके पर चलते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त यान किसी गति से कोई समाधान कारिता किए बिना चलेगा और उसे ब्रेक नहीं लगाए जाएंगे और यह उस समय चलेगा जब उस ढांचे पर अन्य कोई वाहन न हो।

[सं. आर टी-11042/12/91-एम वी एल]
जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 5th December, 1991

S.O. 820 (E).—WHEREAS the Central Government is of the opinion that heavier weight than the maximum safe laden weight and the maximum safe axle weight of each axle of the vehicle as pecified in this Ministry's notification No. S.O. 416 (E), dated 8-6-89 issued under sub-section (i) of Section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) may be permitted for the vehicle of the type specified in column (1) of the table given below.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 58 of the said Act, the Central Govt. hereby directs that the provisions of the said sub-section (3) shall apply to the said type of vehicle subject to the modifications/conditions specified hereunder below the said table :—

The Table

Type of Vehicle	Engine No.	Chassis No.	Gross Vehicle Weight	
			Front Axle Wt.	Rear axle Wt.
Crash Fire Tenders	25169938	17603	9018 Kgs.	20300 Kgs.
fabricated	25170155	17602		
on Ashok	25170250	17702		
Leyland				
Chassis F-23	25170248	17703		

In case the fire tenders are used outside the airport area, the above relaxation is subject to the following modifications/conditions :—

(1) Due care shall be taken to assess before hand such obstructions and hindrances as branches of trees and buildings that exist on or along the route and at the curves.

(2) The Central Government shall not be responsible for any damage in transit to the above vehicle or to the things loaded;

(3) The operator/owner shall be responsible for any damage caused to the road maintained or supervised by the Central Government/National Highway Authority or its agency and to the road structures either directly or indirectly due to movement/plying of the said vehicle and the said operator/owner shall be liable to pay the amount as damages that may be assessed by the National Highway Authority;

(4) The said vehicle shall move without operating any obstructions or hindrance to the normal flow of traffic on the road/route;

(5) Necessary warning signals like red flags during day-time and red lights during night shall be used/displayed to indicate clearly and properly the extremities of the Vehicle;

(6) Necessary permission shall be obtained by the operator/driver from the local bodies or other Govt. Deptts. for plying/running the said vehicle on their roads;

(7) The authorities of the National highway bridges, culverts or of other roads or of roads structures shall be entitled to stop the movement of the said vehicle due to exigencies/situations and for reasons of road conditions and road structures;

(8) The wights specified in columns No. 4 in the Table given above shall not be increased in the said vehicle;

(9) The said vehicle shall move only after sufficient advances/prior notice to the concerned Assistant/Divisional Engineer of the Highway/R.

(10) Separate prior permission from the Railway Administration shall be obtained before crossing any level crossing or any over-bridge/under of the railway;

(11) While moving on any road-structure/bridge/culvert/causeway, it shall be ensured that the said vehicle move at crawling speed without causing any impact and without applying breaks and while no other vehicle is on that structure.

[No. RT—11042/12/91-MVL]

G.K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991